POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 23.02.2025

1. थाना इकोटेक-प्रथम पुलिस द्वारा ढाबो/हाईवे पर खडे वाहनों से पेट्रोल/डीजल की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुये 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1250 लीटर चोरी किया गया तेल, 8000 रूपये नकद(चोरी किये गये पेट्रोल की बिक्री से), घटना में प्रयुक्त वाहन (एक छोटा हाथी व एक अल्टो कार) बरामद।

कार्यवाही का विवरण -- दिनांक **23.02.2025** को **थाना ईकोटेक-प्रथम** पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंटस द्वारा प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर घरबरा गेट के पास से चार अभियुक्तगण 1. तरुण 2. संतोष वीके 3.सोनू 4.खुशीराम को भारी मात्रा में चोरी के तेल पेट्रोल व एक छोटा हाथी व एक अल्टो कार के साथ **गिरफ्तार** किया है। जोकि ढाबो/हाइवे पर खडे वाहनों से पेट्रोल/डीजल की चोरी करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण/आपराधिक इतिहास--

1. तरुण पुत्र वीरपाल निवासी अटाली थाना छाएसा जिला फरीदाबाद हरियाणा उम्र 26 वर्ष

मु0अ0सं0- 30/2025 धारा 303(2)/317(5) बीएनएस थाना इकोटेक-प्रथम गौतमबुद्धनगर ।

2. संतोष वीके पुत्र महेश निवासी महेश निवासी मुहल्ला रामपुर पटेल थाना गोरखपुर जिला जबलपुर मध्य प्रदेश उम्र 32 वर्ष

मु0अ0सं0- 30/2025 धारा 303(2)/317(5) बीएनएस थाना इकोटेक-प्रथम गौतमबुद्धनगर

3. सोनू पुत्र मुकेश कुमार निवासी गढी सहदरा थाना से0- 142 जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 57 वर्ष

मु0अ0सं0- 30/2025 धारा 303(2)/317(5) बीएनएस थाना इकोटेक-प्रथम गौतमबुद्धनगर

मु0अ0सं0 51/2024 धारा 147/323/452 भादवि थाना से0- 142 नोएडा गौतमबुद्धनगर

4. खुशीराम पुत्र सतवीर निवासी अटाली थाना छाएसा जिला फरीदाबाद हरियाणा उम्र करीब 39 वर्ष

मु0अ0सं0- 30/2025 धारा 303(2)/317(5) बीएनएस थाना इकोटेक-प्रथम गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. 1250 लीटर पेट्रोल
2. 8000 /- रुपये नकद पेट्रोल बिक्री से
3. एक छोटा हाथी नं0-एचआर 38 एएच 3438
4. एक अल्टो कार नं0- एचआर 50 सी 3862

2. थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा हत्या की घटना का अनावरण करते हुये हत्या कराने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 21.02.2025 को थाना इकोटेक तृतीय क्षेत्रान्तर्गत सुबह करीब 08.30 बजे डाटा सेन्टर/डी पार्क तिराहे के पास एक व्यक्ति की गोली मालकर हत्या कर दी गयी थी। मृतक की शिनाख्त मनजीत मिश्रा उम्र करीब 29 वर्ष पुत्र स्व0 श्री प्रमोद मिश्रा निवासी गाँव रशिदपुर थाना अलीनगर जिला दरभंगा बिहार हाल पता 281, सेक्टर 2सी वसुन्धरा गाजियाबाद के रूप मे हुई। मृतक के परिजनो की सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 070/2025 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- उच्चाधिकारीगण द्वारा घटना के शीघ्र व सफल अनावरण हेतु 03 टीमो का गठन किया गया । जांच के दौरान पाया कि मृतक मनजीत मिश्रा उम्र करीब 29 वर्ष गाजियाबाद मे रहता था। वही पर उसका स्वयं का मकान था और मृतक डाटा सेन्टर में प्राइवेट नौकरी करता था। टीमो द्वारा घटनास्थल पर व उसके आसपास तथा मृतक के घर गाजियाबाद से नोएडा तक लगे लगभग 100 कैमरो को चैक किया गया तो पाया कि दिनांक 21.02.2025 को मृतक अपने घर अपनी कार के द्वारा डाटा सेन्टर में ड्यूटी के लिये निकला तो घर से ही बाइक पर दो अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसका पीछा किया गया । डाटा सेन्टर तिराहे के पास मौका मिलते ही दोनों व्यक्तियो द्वारा मृतक मनजीत मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर मौके से फरार हो गये थे।

दिनांक 23.02.2025 को लोकल इंटेलीजेन्स व सर्विलांस की सहायता से अभियुक्त 1. सचिन राठौर पुत्र भोपाल सिंह राठौर 2.प्रवीण उर्फ तिलके पुत्र ब्रह्मपाल को डाटा सेन्टर के पास से **गिरफ्तार** किया गया है।

अपराध का विवरण-- मृतक व मृतक की पत्नि मेघा दोनो एक साथ इन्द्रप्रस्थ कॉलेज साहिबाबाद गाजियाबाद मे पढते थे। वहीं पर वर्ष 2017 में दोनो की जान पहचान हो गयी। दोनो दोस्त बन गये थे यह बात मेघा ने घर वालो को बतायी सभी परिवार वालो ने रजाबन्दी से मेघा की शादी 28 जनवरी 2024 को मनजीत मिश्रा के साथ कर दी थी

। शादी के करीब 15 दिन बाद ही मनजीत मिश्रा के पिता प्रमोद मिश्रा की सडक दुर्घटना मे मृत्यु हो गयी थी। इस घटना के बाद मनजीत मिश्रा के घर वाले मेघा को बुरा-भला कहने लगे थे और आये दिन मेघा व मंजीत मिश्रा व उसके परिजनों का आपस में झगडा होता रहता था जिसकी एक बार शिकायत मेघा के भाई सचिन ने पुलिस मे भी की थी तथा मंजीत ने अपनी जान को खतरा होने की शिकायत दिनांक 19.08.2024 को इन्दरापुरम थाने में की थी। 20 जून 2024 को मनजीत, मेघा को उसके घर बाद मे ले जाने को कहकर छोड आया था और इसके बाद मनजीत मेघा को लेने नही आया। मेघा के परिवार ने बार बार समझौता कराने का प्रयास किया लेकिन मंजीत व उसके घर वाले नही माने। तंग परेशान होकर मेघा के भाई सचिन ने कोर्ट में वाद दायर किया जिसमें मीडियेशन चल रहा था। मेघा के परिवार वाले मेघा को देखकर परेशान होते थे। मेघा की हालत को देखकर मेघा के भाई सचिन ने एक दिन अपने साथ काम करने वाले प्रवीण पुत्र ब्रह्मपाल निवासी संतोषपुर बाघु थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत से कहा कि हम परेशान हो गये है, मंजीत मिश्रा का काम तमाम करा दो तो प्रवीण ने कहा कि मंजीत को मैं रास्ते हटवा दूंगा। सचिन राठोड मंजीत मिश्रा को रास्ते हटाने के लिए प्रवीण को 15 लाख रूपये देने का वादा किया था और 05 लाख रूपये दिसम्बर 2024 में प्रवीण को दे दिये थे और प्रवीण ने अपने ही गाँव के एक व्यक्ति को मंजीत की हत्या कराने के लिए शूटर हायर किये थे और इन सभी की योजना के मुताबिक दोनों शूटरों के ओयो होटल 5/17 साईट 4 लोनी रोड इन्ड्रियल एरिया मोहन नगर गाजियाबाद में रूकने का इंतजाम किया था और इन दोनो ने ही मंजीत मिश्रा का घर इन दोनो को दिखाया था और योजना के मुताबिक यह दोनो 20.02.2025 को इसी होटल में रुके थे। फिर अगले दिन इन दोनो ने मंजीत मिश्रा की रैकी कर इसकी गाड़ी का पीछा करके डी-पार्क डाट सेन्टर तिराहे पर योजना के मुताबिक गाड़ी में टक्कर मारकर गिर गये थे और जैसे ही मंजीत मिश्रा इनके पास आया तो इन दोनो ने मंजीत मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी थी और मौके से भाग गये थे। अन्य अभियुक्तो के विरूद्ध विवेचना प्रचलित है एवं गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

नोट- पुलिस उपायुक्त से0नो0 श्री शक्ति मोहन अवस्थी द्वारा घटना का अनावरण करने वाली टीम को 25000/- रुपये का ईनाम घोषित किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. सचिन राठौर पुत्र भोपाल सिंह राठौर निवासी कडकडडूमा गाँव , निकट प्राचीन शिव मन्दिर के पास थाना आनन्द बिहार नई दिल्ली उम्र 32 वर्ष
2. प्रवीण उर्फ तिलके पुत्र ब्रह्मपाल निवासी संतोषपुर बाघू थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत उम्र 29 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0 070/2025 धारा 103(1)/3(5)/61(2) बीएनएस थाना इकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. एक एचडीएफसी बैंक की चैक बुक
2. एक आर्यवृत बैंक की किताब

3. 02 मोबाइल चार्जर व अन्य कागजात
4. एक सैफ्टी एटीएम कवर जिसके अन्दर एक स्टेट बैंक का एटीएम,
5. एचडीएफसी बैंक का कार्ड,
6. एक एचडीएफसी का प्लैटिनम कार्ड,
7. एक बीओआई का कार्ड
8. एक एक्सिस बैंक का कार्ड
9. अन्य कागजात

3. थाना जारचा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वाँछित 25000/- रूपये का ईनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण- थाना जारचा पुलिस द्वारा दिनांक **23.02.2025** को अभियुक्त सोनू पुत्र ओमी निवासी ग्राम गेसूपुर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर को गेसूपुर रोड शमशान घाट के पास से **गिरफ्तार** किया गया है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। गैंग का सदस्य है। संगठित गैंग बनाकर घरों में चोरी, नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देकर अवैध धन अर्जित करता है। अनुचित आर्थिक लाभ हेतु थाना जारचा क्षेत्रान्तर्गत चोरी व नकबजनी जैसी घटना को अंजाम दिया गया था। उक्त गैंग के 02 सदस्यों को गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त सोनू लगातार फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी पर श्रीमान डीसीपी ग्रेटर नोएडा महोदय द्वारा 25000/- रूपये का ईनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

सोनू पुत्र ओमी निवासी ग्राम गेसूपुर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर 35 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 68/2024 धारा 2/3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना जारचा गौतमबुद्ध नगर
2. मु0अ0सं0 153/2023 धारा 380/411 भादवि थाना जारचा गौतमबुद्ध नगर
3. मु0अ0सं0 154/2023 धारा 380/411 भादवि थाना जारचा गौतमबुद्ध नगर
4. मु0अ0सं0 156/2023 धारा 380/457 भादवि थाना जारचा गौतमबुद्ध नगर

4. थाना सेक्टर-49 पुलिस द्वारा मोबाइल फोन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 20 मोबाइल फोन, फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुयी घटना में प्रयुक्त एम0जी0 हेक्टर गाड़ी, फर्जी आर0सी0 व एक आधार कार्ड बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **23.02.2025** को **थाना सेक्टर-49** नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से चेकिंग के दौरान मोबाइल फोन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1-सादाब आलम पुत्र रईस अहमद 2-असद पुत्र अहमद नवाज को केन्द्रीय विहार सेक्टर-50 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 20 मोबाइल फोन, 02 फर्जी नम्बर प्लेट, घटना में प्रयुक्त कार एम0जी0 हेक्टर गाड़ी, फर्जी आर0सी0 व घटना से संबंधित एक आधार कार्ड बरामद हुआ है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके द्वारा भीड़भाड़ वाले स्थानों से मोबाइल फोन चोरी किये जाते है। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि दिनांक 22.2.2025 को सेवरोन बैंकेट हॉल होशियारपुर सेक्टर-51 नोएडा के सामने एक व्यक्ति से इन दोनो ने एक फोन चोरी किया था जिसके कवर मे उसका आधार कार्ड रखा था जो अभियुक्त सादाब ने अपने पास रख लिया था। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद चोरी के अन्य मोबाइल फोन के सम्बन्ध में इनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने दिल्ली, नोएडा, एनसीआर0 क्षेत्र से अलग-अलग जगहों से यह सभी फोन चोरी किये थे, इन दोनों के पास से बरामद कार एम0जी0 हेक्टर रजि0 नं0 यूपी 16 सी0एम0 4776 के आगे-पीछे फर्जी नं0 प्लेट लगा रखी थी। यह लोग मौज मस्ती करने के लिये चोरी के मोबाइल फोन को सस्तें दामों में बेच देते थे।

अभियुक्तों का विवरण--

1. सादाब आलम पुत्र रईस अहमद निवासी एल ब्लाक महिपालपुर, दिल्ली स्थायी पता ईदगाह रोड़ जाज मऊ, थाना जाज मऊ, जिला कानपुर उम्र करीब 32 वर्ष।
2. असद उर्फ अशद नवाज पुत्र अहमद नवाज स्थायी पता मनोहर नगर जाजम, थाना चेकरी, कानपुर नगर वर्तमान पता अन्तरिक्ष गोल्फ व्यू नोएडा, सेक्टर-73, थाना सेक्टर-113, नोएडा उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

1- चोरी के 20 मोबाइल फोन (एक मोबाइल व आधार कार्ड सम्बन्धित मु0अ0सं0 0060/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस0 थाना सेक्टर-49, नोएडा)

2- 02 फर्जी नम्बर प्लेट

3- घटना में प्रयुक्त एमजी हेक्टर गाड़ी (सही रजि0 नं0 यूपी 78 एफ.एक्स. 3348)

4- फर्जी आर0सी0

अपराधिक इतिहास का विवरण--

- **अभियुक्त असद उर्फ अशद नवाज--**

1. मु0अ0सं0 0862/2017 धारा 307,336,504,506 भादवि0 थाना चकेरी पूर्वी कमिश्नरेट कानपुर नगर।
2. मु0अ0सं0 0084/2019 धारा 279,337,338 भादवि0 थाना छावनी पूर्वी कमिश्नरेट कानपुर नगर।
3. मु0अ0सं0 0060/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस0 थाना सेक्टर-49, नोएडा गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 0061/2025 धारा 317(5),318(4),336(3),3(5) बीएनएस0 थाना सेक्टर-49, नोएडा गौतमबुद्धनगर।

- **अभियुक्त सादाब आलम--**

1. मु0अ0सं0 0281/2017 धारा 323,393 भादवि0 थाना बर्रा दक्षिणी कमिश्नरेट कानपुर नगर।
2. मु0अ0सं0 0131/2018 धारा 225,307,353 भादवि0 थाना छावनी पूर्वी कमिश्नरेट कानपुर नगर।
3. मु0अ0सं0 0132/2018 धारा 3/25 आर्मस् एक्ट थाना छावनी पूर्वी कमिश्नरेट कानपुर नगर।
4. मु0अ0सं0 0060/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस0 थाना सेक्टर-49, नोएडा गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 0061/2025 धारा 317(5),318(4),336(3),3(5) बीएनएस0 थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर।